

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-8  
संख्या-143/एस0एम079 /पांच-8-2016-टी0(114)/2016  
लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 अभिषेक सिंह, आर्थोपैडिक सर्जन, जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ का कार्यालय-ज्ञाप संख्या-130/4052/पांच-8-2016-जी0(300)/2016, दिनांक 22-12-2016 द्वारा ट्रामा सेन्टर, बलिया किया गया स्थानान्तरण सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

2- डा0 अभिषेक सिंह पूर्ववत अपने पद पर बने रहेंगे।

राम नगीना मौर्य  
संयुक्त सचिव।

संख्या-143/एस0एम0-79(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 2- अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
- 4- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, आजमगढ़।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, ट्रामा सेन्टर, बलिया।
- 6- कोषाधिकारी, आजमगढ़/बलिया।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 8- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

( शिवगोपाल सिंह )

अनु सचिव।

u.o.m

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-143/एस0एम079 /पांच-8-2016-टी0(114)/2016

लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 अभिषेक सिंह, आर्थोपैडिक सर्जन, जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ का कार्यालय-ज्ञाप संख्या-130/4052/पांच-8-2016-जी0(300)/2016, दिनांक 22-12-2016 द्वारा ट्रामा सेन्टर, बलिया किया गया स्थानान्तरण सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

2- डा0 अभिषेक सिंह पूर्ववत अपने पद पर बने रहेंगे।

राम नगीना मौर्य  
संयुक्त सचिव।

संख्या-143/एस0एम0-79(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
- 4- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, आजमगढ़।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, ट्रामा सेन्टर, बलिया।
- 6- कोषाधिकारी, आजमगढ़/बलिया।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 8- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

( शिवगोपाल सिंह )

अनु सचिव।

u.o.m

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।